

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

कमांक: एफ.2(1)साप्र / 2 / 2013


जयपुर, दिनांक 15 OCT 2013

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4.9.2013 के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख आवंटित किए गए राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं :-

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	16/2012	डॉ० रविन्द्र सिंह गोठवाल सह आचार्य, रेडियोथेरेपी सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	5/6, हीराबाग, जयपुर	30.6.2034
2.	26/2012	श्री सांवर मल वरिष्ठ लेखाधिकारी वित्त (कर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एन-14, गांधीनगर जयपुर	30.6.2032
3.	29/2012	डॉ० राम गोपाल यादव सहायक आचार्य कार्डियो थोरासिक सर्जरी विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	II/40, गांधीनगर जयपुर	29.2.2024
4.	33/2012	श्री दिनेश चन्द्र जैन संयुक्त निदेशक देवनारायण योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	II/36, गांधीनगर, जयपुर	31.10.202
5.	11/2013	श्री दिनेश कुमार अधिशापी अभियन्ता आईडीएण्डआर, जल संसाधन ईकाई, जयपुर (504, मॉडल टाउन, मालवीयनगर)	102, मॉडल टाउन,	30.4.2033

राज्यपाल की आज्ञा से,



(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
6. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
7. शासन उप सचिव वित्त (कर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (डीएमवाई) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. कौषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशापी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन सा०अभि०वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/अग्रहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करावे साथ ही आवंटित द्वारा निर्धारित अर्द्ध में कब्जा लेने में असमर्थ रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावे।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

15. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
17. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

52/4/17
(मुन्ना लाल शर्मा) 17/4/17
शासन सहायक सचिव